29/22 लाली / गैन्दीलाल व अन्य

हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया गया साथ ही वादीया की पुत्री सौनी के द्वारा गवाहान के रूप मे हस्ताक्षर किये गये। व प्रहलाद मीना के द्वारा गवाहान के रूप मे हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया गया। उक्त विवेचन के आधार पर वादीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को ~~[illegible]~~ वि‌ड्रा किये जाने को न्यायहित मे स्वीकार किये किये जाने के आदेश दिये जाते है। कि भविष्य वादीया को अगर नया वाद कारण उत्पन्न होता है तो वादीया पुनः वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगी। पत्रावली को जरिए विड्रा खारिज किया जाता है। पत्रावली जेर नल कुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/4/22 को खुले न्यायालय एव सर इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)